मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक / 1302 /2489/2021/ए-16 भोपाल, दिनांक 17/9/2021

प्रति,

1 **पदाभिहित अधिकारी**
क्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक)

2 **प्रथम अपीलीय अधिकारी**
सहायक कल्याण आयुक्त,
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल,
83 मालवीय नगर, भोपाल, (म.प्र.)

3 **द्वितीय अपीलीय अधिकारी**
कल्याण आयुक्त,
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल,
83 मालवीय नगर, भोपाल, (म.प्र.)

विषय :–**श्रम विभाग अन्तर्गत म.प्र.श्रम कल्याण मंडल की सेवा कमांक 2.33 विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदाय करने के संबंध में।**

संदर्भ :–लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2–12/2021/61/लोसेप्र/इकसठ–1 पीएसजी–02 म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 09 मार्च, 2021

---000---

1– सेवा का उद्देश्य :– इस सेवा का उद्देश्य निम्नानुसार सहायता प्रदान किया जाना है –

(अ) म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिक/कर्मचारी की अधिकतम दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं संस्थान/स्थापना में कार्यरत महिला श्रमिक/कर्मचारी को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

2– पदाभिहित अधिकारी एवं समय –सीमा

मंडल में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी जो जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी एवं कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक के रूप में कार्यरत है इस योजना हेतु पदाभिहित अधिकारी होंगे ।

पदाभिहित अधिकारी को लोक सेवा गारंटी में शामिल योजनाओं के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृति एवं हितलाभ स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार होंगे।

समय–सीमा :– यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के अंदर प्रदान की जायेगी।

3– आवेदन पत्र का प्रारूप :–विवाह सहायता योजना के आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट–'स'** पर संलग्न है।

कार्यालय म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल
आवक क्रमांक 29620
आवक दिनांक 17/9/2021
शाखा का नाम

9– **शुल्क** इस सेवा को प्राप्त करने के लिये मंडल को कोई प्रशासकीय शुल्क देय नही है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर ई–गवर्नेंस/लोक सेवा केन्द्र द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

10– अपील

आवेदक निम्नांकित स्थितियों में ऑनलाईन अपील कर सकेगा :–

आवेदन निरस्त किये जाने से असहमत होने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी :–

1 **प्रथम अपील** :–पदाभिहित अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील सहायक कल्याण आयुक्त, म.प्र.श्रम कल्याण मंडल को होगी, जो अधिकतम 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

2 **द्वितीय अपील** :–प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील कल्याण आयुक्त म.प्र.श्रम कल्याण मंडल को प्रस्तुत की जायेगी ।

11– अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1 सेवा कमांक 2.33 विवाह सहायता योजना के लिये सेवा प्रदाय करने के लिये समय–सीमा आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 कार्य दिवस है, परंतु लोक हित में यह प्रयास किये जाये कि सेवा यथासंभव आवेदन पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद उपलब्ध करा दी जाये, जिससे श्रमिक/श्रमिक परिवार को यथासमय सहायता प्राप्त हो सके । समय–सीमा के अंतिम दिवस का इंतजार यथा संभव न किया जाये ।

2 विवाह सहायता का लाभ उसी दशा में प्रदान किया जायेगा जब पदाभिहित अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है एवं विवाह संपन्न हो चुका है।

3 यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदक का आवेदन निरस्त करने का अधिकार पदाभिहित अधिकारी को होगा तथा सक्षम प्राधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाय कि आवेदक द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी दी गई है अथवा धोखाघड़ी की गई है तो प्रदाय की गई राशि वसूल करने के साथ ही आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

4 एक श्रमिक की दो पुत्रियों के विवाह होने पर प्रत्येक विवाह हेतु अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे

12– आवेदन पत्र परीक्षण, स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी अधिकार –

1 योजना के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी को विवाह सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का नियमानुसार परीक्षण करने, स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने तथा सहायता राशि भुगतान करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(उप सचिव)
म.प्र.शासन श्रम विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल